न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 79 / 2019 (अपील)

1. श्रीमति प्रीति शर्मा पत्नि श्री नितेश गौत्तम जाति ब्राह्मण निवासी–266–सी, तलवण्डी, कोटा ।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री चन्द्रस्वरूप गौत्तम पुत्र श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी– फ्लेट संख्या–202 , कंचन जंगा, नैनानी अपार्टमेन्ट, बोरखेडा, कोटा (राज0)
2. नितेश गौत्तम पुत्र श्री चन्द्रस्वरूप गौत्तम निवासी–मकान नम्बर–286, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा ।

–––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.08.2019 उपखण्ड अधिकारी कोटा, अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांकः– 16 / 10 / 2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 23.08.2019 को आदेशः पारित किया कि–"मकान श्री चन्द्रस्वरूप गौत्तम तथा श्यामलता गौत्तम पत्नि चन्द्रस्वरूप गौत्तम के नाम है । चूंकि प्रार्थी विधिक स्वामी है । अतः इस आशय का आदेश प्रदान किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पत्ति / मकान में निवास नहीं करें तथा मकान में से अपना सामान निकालकर खाली करें ।"
2. उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील दिनांक 05.09.2019 को पेश की गई है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में कथन किया कि प्रत्यर्थी कम–1 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व स्वयं का आवास संख्या–266–सी तलवण्डी, खाली कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में असत्य कथनों पर एवं तथ्यों को छिपाकर पेश किया, जिसमें अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी व उसकी पत्नि का दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत समस्त तथ्य जवाब के साथ पत्रावली में उपलब्ध करवा दिये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में अपीलार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजों एवं वस्तुस्थिति को दर किनार कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बगैर मात्र और मात्र प्रार्थी कम–1 के नाम मकान रजिस्टर्ड होने के आधार पर प्रत्यर्थी कम–1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को आवास खाली करने के निर्देश प्रदान किये गये । प्रत्यर्थी कम–1 व उसकी पत्नि ने प्रार्थीया को आराम से वैवाहिक परिवार में निंवास ही नहीं करने दिया । प्रत्यर्थी कम–1 व उसकी पत्नि ने अपीलार्थी के प्रत्यर्थी कम–2 से विवाह के पूर्व एम.बी.बी.एस. होना

Scanned by CamScanner

और 2,00,000/– रूपये मासिक आय होना दर्शित कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त, जबकि विवाह के बाद वास्तविक स्थिति यह थी कि प्रत्यर्थी कम–2 प्रत्यर्थी कम–1 के द्वारा व उनके नाम से संचालित अनुराधा ट्रेवल्स को अपने पिता के साथ संचालित करता आया है, स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पति प्रत्यर्थी कम–2 एमबीबीएस की डिकी से आय अर्जित नहीं कर रहा है बल्कि अपने पिता प्रत्यर्थी कम–1 के साथ व्यवसाय करता है । ऐसा अपीलार्थी को विवाह के बाद प्रतीत हुआ और विवाह में प्रत्यर्थी कम–1 व उसकी पत्नि की दहेज की मांग को पूरा ना कर पाने के कारण प्रत्यर्थी कम–1 की पत्नि अर्थात अपीलार्थी की सास ने अपीलार्थी को ससुराल में रहने ही नहीं दिया । प्रत्यर्थी कम–2 को अनेको बार अमेरिका भेज देती और अपीलार्थी से कहती कि जब हम बुलाये तब ही ससुराल आना, जिसके कारण मजबूरी में लम्बे समय के इन्तजार करने के बाद अपीलार्थी व उसके परिवार के द्वारा वैवाहिक परिवार बचाये जाने के समस्त प्रयास असफल हो जाने पर अन्य कोई विकल्प ना होने पर मजबूरी में अपीलार्थी को अपने रिश्तेदारों के साथ दिनांक 9.3.2019 को प्रत्यर्थीगण के घर में प्रवेश करना पड़ा, और हर स्थिति में आवास से ना निकलने की बात कहने पर प्रत्यर्थी कम–1 व उसकी पत्नि ने आनन–फानन में मकान खाली करके स्वयं के अन्य मकान पर निवास करने लगी, और माननीय अधीनस्थ न्यायालय में आवास नम्बर 266–सी, तलवण्डी कोटा स्वयं के नाम होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रजिस्टर्ड आवास प्रत्यर्थी कम–1 के नाम होने के आधार पर उक्त आवास खाली करने बाबत अपीलार्थी को आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । प्रत्यर्थी कम–1 अधीनस्थ न्यायालय में clean hand से उपस्थित नहीं हुआ है, उसने तथ्यों को छुपाया, अपीलार्थी के दिनांक 03.09.2019 को प्रत्यर्थी कम–1 के आवास में प्रवेश करने पर तक प्रत्यर्थी कम–2 भी अपने माता–पिता के साथ उसी आवास में निवास करता था, इस तथ्य को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में छिपाया, प्रत्यर्थी कम–1 की पत्नि के द्वारा अपीलार्थी को घर से निकालने बाबत थाने में रिपोर्ट पेश की, परन्तु अपीलार्थी का वैवाहिक परिवार में निवास करना जाहिर कर सम्बन्धित थाने से प्रत्यर्थी कम–1 की पत्नि अर्थात अपीलार्थी की सास के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई, और प्रत्यर्थी कम–1 ने असत्य तथ्य एवं षडयंत्र के तहत वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, उन तथ्यों पर ध्यान दिये बिना व न्यायिक विवेक इस्तेमाल किये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश निरस्तनीय है । अपीलार्थी व उसके पति प्रत्यर्थी कम–2 के मध्य किसी भी प्रकार का आपसी विवाद ना होने (जिसका सबूत अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में फोटो एवं वाट्सएप मैसेज पेश करके जाहिर किया) के बावजूद अपीलार्थी को अपने साथ रखने की हेसियत में ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं आर्थिक रूप से अपने पिता प्रत्यर्थी कम–1 पर निर्भर करता है । इसलिये वह न्यायालय में सही वस्तुस्थिति बताने में असमर्थ है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.8.2019 को निरस्त किया जायें, प्रत्यर्थी कम–1 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पत्रावली प्राप्त होने पर वकील अपीलांट एवं स्वयं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
कोटा

2/4

Scanned by CamScanner

4. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि– अपीलान्ट नं. 1 की पुत्रवधु है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 की पत्नि है । अपीलार्थी को विवाह के बाद प्रतीत हुआ और विवाह में प्रत्यर्थी क्रम–1 व उसकी पत्नि की दहेज की मांग को पूरा ना कर पाने के कारण प्रत्यर्थी क्रम–1 की पत्नि अर्थात अपीलार्थी की सास ने अपीलार्थी को ससुराल में रहने ही नहीं दिया । प्रत्यर्थी क्रम–2 अनेको बार अमेरिका भेज देती और अपीलार्थी से कहती कि जब हम बुलाये तब ही ससुराल आना, जिसके कारण मजबूरी में लम्बे समय के इन्तजार करने के बाद अपीलार्थी व उसके परिवार के द्वारा वैवाहिक परिवार बचाये जाने के समस्त प्रयास असफल हो जाने पर अन्य कोई विकल्प ना होने पर मजबूरी में अपीलार्थी को अपने रिश्तेदारों के साथ दिनांक 9.3.2019 को प्रत्यर्थीगण के घर में प्रवेश करना पड़ा, और हर स्थिति में आवास से ना निकलने की बात कहने पर प्रत्यर्थी क्रम–1 व उसकी पत्नि ने आनन–फानन में मकान खाली करके स्वयं के अन्य मकान पर निवास करने लगी, और माननीय अधीनस्थ न्यायालय में आवास नम्बर 266–सी, तलवण्डी कोटा स्वयं के नाम होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रजिस्टर्ड आवास प्रत्यर्थी क्रम–1 के नाम होने के आधार पर उक्त आवास खाली करने बाबत अपीलार्थी को आदेश प्रारित कर दिया जो निरस्तनीय है ।

5. रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही बहस मानने हेतु कथन किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया है कि अपने पुत्र नितेश का विवाह दिनांक 28.2.2017 को अपीलार्थी के साथ कोटा में संपन्न करवाया था । शादी के 3–4 दिन बाद से ही अपीलार्थीया के व्यवहार आये दिन मेरे व पत्नि को ताने देना, काम नहीं करना, बार बार पीहर चले जाना एवं कई बार लेने जाने पर भी नहीं आना, मनमर्जी करना, गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी देना आदि तरीके से परेशान करती रही है । दिनांक 22.10.2017 को झगडा करके पीहर चली गयी थी, लगातार वहीं रह रही थी कि दिनांक 9.3.2019 को 1.5 बजे दिन में 3–4 व्यक्तियों भाई गोपेश, मौसी के साथ अपीलार्थीया अचानक आयी एवं मेरे मकान में जबरन घुसकर कमरे पर कब्जा कर लिया । मैं और मेरी पत्नि किसी भी अनहोनी की संभावना एवं धमकियों से डरकर होटल में रहने को मजबूर हो गया हूँ । अपीलांट के दुर्व्यवहार एवं प्रताडना के कारण मैं व मेरी पत्नि का जीवन संकट में एवं असुरक्षित होकर कष्टदायक हो गया है । अपीलार्थीया मेरी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर मेरे पारिवारित शांति, सामाजिक, शारीरिक सुरक्षा से वंचित किये हुए है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम –2007" में अंकित प्रावधानों के तहत बेदखली का आदेश पारित किया है जो सहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 23.8.2019 से रेस्पोडेन्ट –1 के पुत्र नितेश एवं पुत्रवधु प्रीति शर्मा को रेस्पोडेन्ट के मकान से बेदखली के आदेश जारी करने पर प्रीति शर्मा द्वारा पेश की गई है, जिसमें रेस्पोडेन्ट नं0 1 ससुर चन्द्रस्वरूप गौत्तम एवं रेस्पो0 नं0 2 अपने पति नितेश गौत्तम को पार्टी बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर गौर करने से जाहिर होता है कि जिस मकान से बेदखली के आदेश पारित किये है वह

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

मकान रेस्पोडेन्ट नं0 1 चन्द्रस्वरूप गौत्तम के नाम रजिस्टर्ड है । जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं मानते है । माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम–2007 का भी यहीं उद्देश्य है कि माता पिता एवं वरिष्ठजन का उचित भरण पोषण एवं उनके हितों की रक्षा हो । वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों एवं दौराने बहस अपीलांटा को रेस्पोडेन्ट एवं उनकी पत्नि द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि तथ्य अंकित किये है, किन्तु इस तरह के बिन्दुओं पर सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का अधिकार क्षैत्र है ।

7. परिणामस्वरूप हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 23.8.2019 को पारित किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं मानते है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, किन्तु अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 चन्द्रस्वरूप गौत्तम के मकान से बेदखली से पूर्व अन्य मकान तलाशने के लिए यह आदेश जारी होने की तारीख से दौ माह का समय दिया जाता है, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.8.2019 की कियान्विति नहीं की जावें, यह आदेश जारी होने की तिथि से दौ माह की अवधि पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.8.2019 की कियान्विति की जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner